

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250

दुरभाष- 05462-260403,

ई-मेंल- spazh-up@nic.in

प्रेस विज्ञप्ति

थाना गम्भीरपुर

मारपीट में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 03 लाठी बरामद।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.07.2024 की रात्रि में अभियुक्तगण 1.अफताब उम्र 18 वर्ष 2.मेहताब 22 वर्ष 3.राहिल s/o अबूलास उर्फ नन्नूह उम्र 18 वर्ष 4.साहिल s/o पुट्टू उम्र 26 वर्ष सािकनान ग्राम मोहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा बकरी चराने की बात को लेकर आवेदक तुफेल अहमद पुत्र अब्दुल सलाम सा.मोहम्दपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के पुत्र सम्से आलम व भतीजे अबू हुजैफा पुत्र कयामुद्दीन को गाली गलौज देते हुए लाठी डण्डा से मार पीट पीटकर घायल घर दिया गया था मौके पर आवेदक का भतीजा अबू हुजैफा हो गया था । जिसके सम्बन्ध में थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0स0 206/2024 धारा 323/504/506/308 भादिव बनाम 1.अफताब उम्र 18 वर्ष 2.मेहताब 22 वर्ष 3.राहिल s/o अबूलास उर्फ नन्नूह उम्र 18 वर्ष 3.साहिल s/o पुट्टू उम्र 26 वर्ष सािकनान ग्राम मोहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना 30नि0िसन्धीलाल सोनकर द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दि0-08.06.2024 को 30नि0 सिन्धीलाल सोनकर मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.अफताब 2.मेहताब 3.राहिल s/o अबूलास उर्फ नन्नूह सािकनान ग्राम मोहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को मय 03 अदद डण्डा के साथ सैनिक ढाबा फरिहां मोड़ से समय 10.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0स0 206/2024 धारा 323/504/506/308 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ गिरफ्तार अभियुक्त

1.अफताब 2.मेहताब

3.राहिल .पुत्रगण अबूलास उर्फ नन्हू सािकनान ग्राम मोहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़। बरामदगी का विवण— घटना में प्रयुक्त अभियुक्तों के पास से एक-एक अदद कुल 03 अदद बांस का डण्डा बरामद। गिरफ्तारी करने वाली टीम

1.30नि0 सिन्धीलाल सोनकर मय हमराह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

<u>थाना- बरदह</u> शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना— दिनांक 06.06.24 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि अभियुक्त राहुल राजभर पुत्र जितेन्द्र राजभर ग्राम- पारा कमाल थाना खेतासराय जनपद जौनपुर द्वारा शादी की झांसा देकर वादिनी के साथ दुष्कर्म किया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 186/24 धारा 376 भादिव0 पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 08.06.24 को मुखबीर की सूचना पर अभियुक्त राहुल उपरोक्त को लल्लूगंज बाजार से समय 08.45 बजे गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तारी का विवरण</u>— आज दिनांक 08.06.24 को SHO अखिलेश कुमार मौर्य मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त हुल राजभर पुत्र जितेन्द्र राजभर ग्राम- पारा कमाल थाना खेतासराय जनपद जौनपुर को लल्लूगंज बाजार से समय करीब 08.45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>- राहुल राजभर पुत्र जितेन्द्र राजभर ग्राम- पारा कमाल थाना खेतासराय जनपद जौनपुर।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 186/24 धारा 376 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

- 1. मु0अ0सं0 77/21 धारा 323/504/506 भादवि थाना सरपतहा जनपद जौनपुर।
- 2. मु0अ0सं0 186/24 धारा 376 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – SHO अखिलेश कुमार मौर्य, कां0 आशुतोष कुमार, का0 सूरज कुमार थाना बरदह, आजमगढ़।

थाना- पवई नवजात शिशु की हत्या में शामिल वांछित 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 6.6.2024 को उ0नि0 रामकृष्ण सिंह चौकी प्रभारी एलवल थाना कोतवाली आजमगढ़ मय हमराह प्रभारी निरीक्षक शिशामौली पाण्डेय के अभियुक्त सूरज कुमार उर्फ पप्पू पुत्र महजू निवासी बरईपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ की निशानदेही पर फारेन्सिक फील्ड यूनिट के सहयोग से बरामद एक प्लास्टिक के पैकेट में मृतक नवजात बच्ची शव बरामद हुआ तथा घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट के उपस्थित थाना आकर एक प्रार्थनापत्र दिनांक 06.06.24 को अभियुक्तगण 1. मनोज राम पुत्र केवल राम निवासी गड़ौरा मझौरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ हाल पता सीएचसी पवई सरकारी आवास थाना पवई जनपद आजमगढ़ 2. रेनू देवी पत्नी मनोज राम निवासी गड़ौरा मझौरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ हाल पता सीएचसी पवई सरकारी आवास थाना पवई जनपद आजमगढ़ 3. सूरज कुमार उर्फ पप्पू पुत्र महजू निवासी ग्राम बरईपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ 4. संगीता पत्नी कमलेश कुमार निवासी बेदपुर लाडघाट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा मिलकर तन्त्र-मन्त्र से मनोज राम की नवजात बच्ची उम्र लगभग 15 दिवस को लड़का बनाये जाने हेतु सूरज कुमार उर्फ पप्पू व संगीता उपरोक्त के कहने पर मनोज राम व उनकी पत्नी रेनू देवी ने सहमित व स्वीकृति से मनोज राम द्वारा अपनी नवजात पुत्री का मुँह कपड़े से दबाकर व नाक गला दबाकर हत्या कर दिये जाने व मनोज राम व सूरज कुमार उर्फ पप्पू के साथ मिलकर मृतक नवजात बच्ची के शव को मैनुद्दीनपुर डीहबाबा स्थल के पास झाड़ियों में छिपा देने के सम्बन्ध में दाखिल किये । दाखिला प्रार्थनापत्र के आधार पर मु0अ0सं0 205/2024 धारा 302/201/120बी भादवि बनाम 1. मनोज राम पुत्र केवल राम 2. रेनू देवी पत्नी मनोज राम निवासी गड़ौरा मझौरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 3. सूरज कुमार उर्फ पप्पू पुत्र महजू निवासी ग्राम बरईपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ 4. संगीता पत्नी कमलेश कुमार निवासी बेदपुर लाडघाट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 08.06.2024 को थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्ता रेनू देवी पत्नी मनोज राम निवासी गड़ौरा मझौरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को लग्गूपुर पुलिया के पास से समय 8.05 बजे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्ता रेनू देवी उपरोक्त का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 205/24 धारा 302/201/120बी भादवि थाना पवई आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्ता- रेनू देवी पत्नी मनोज राम निवासी गड़ौरा मझौरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष।

बरामदगी अभियुक्ता रेनू देवी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक दुपट्टा बादामी रंग का बरामद किया गया।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह थाना पवई आजमगढ़

थाना – तरवा

दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना— दिनांक-17.05.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी रात्रि में शौच के लिये गयी थी कि रास्ते में अभियुक्तो 1.राहुल गोड़ पुत्र रामजीव गोड़ 2.आकाश राजभर पुत्र छोटू 2. अंकित राजभर पुत्र दिलिप राजभर ने वादिनी के साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया तथा ब्लैक मेल करके उसके साथ दुष्कर्म किये तथा वीडियों वायरल कर दिये जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 161/2024 धारा 376 डी ,504,506 भादवि0 व 67 आईटी एक्ट बनाम 1. राहुल गोड़ पुत्र रामजीव गोड़ 2.आकाश राजभर पुत्र छोटू 3. अंकित राजभर पुत्र दिलीप राजभर समस्त निवासी सिंहपुर दिरयाबाद थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

<u>गिरफ्तारी का विवरण</u>- आज दिनांक 08.06.2024 को थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1.राहुल गोड़ पुत्र रामजीव गोड़ 2. अंकित राजभर पुत्र दिलिप राजभर समस्त निवासी ग्राम सिंहपुर दिरयाबाद जनपद आजमगढ़ को ग्राम कबुतरा मार्ग से समय करीब 6:55 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त राहुल के पास से 01 रेडमी मोबाइल बरामद हुआ है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 161/2024 धारा 376 डी ,504,506 भादवि व 67 आईटी एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.राहुल गोड़ पुत्र रामजीव गोड़ निवासी ग्राम सिंहपुर दरियाबाद जनपद आजमगढ़।
- 2. अंकित राजभर पुत्र दिलिप राजभर निवासी ग्राम सिंहपुर दिरयाबाद जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 रेडमी मोबाइल

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>- थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार, हे0का0 प्रमोद यादव, का0 अभिषेक यादव, का0 सौरव कुमार, म0का0 पूनम मौर्य थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

<u>थाना- मेंहनगर</u> चोरी की बाइक के साथ एक गिरफ्तार।

आज दिनाक 08/06/2024 को 30नि0 आदिल खाँ मय हमराह को सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी की मोटर साइकिल न0 प्लेट बदलकर बेचने के लिए अहियाई होते हुए आजमगढ जाने वाला है कि सूचना पर आहियाई ताडी खाना के पास पहुच कर एक व्यक्ति को पकड़ा गया पूछने पर अपना नाम सूर्यप्रताप उर्फ सोनू यादव पुत्र गुल्लू यादव निवासी तिलसडा मठिया थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ बताया तलाशी से उसके पास से मोटर साइकिल के अलावा कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुआ। समय 06.30 बजे अहियाई बाजार से हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामद मोटरसाइकिल होण्डा साइन रंग काला जिसका रजिस्ट्रेशन न0 UP32EL8284 का नम्बर प्लेट लगा है मोटर साइकिल का चेंचिस नम्बर ME4JC657MH7082079 व ईजन न0 JC65E71368300 है ई-चालान ऐप पर मोटरसाइकिल का राजिस्ट्रेशन नम्बर डालकर चेक किया गया तो मोटरसाइकिल का चेंचिस नम्बर व इंजन न0 भिन्न पाया गया मोटरसाइकिल के आनर का नाम सुशील सिंह पुत्र शिववहादुर सिंह निवासी 708 शेखपुरा कालोनी अलीगंज विकासनगर लखनऊ मोबाइल नम्बर 885835xxxx है मो0 न0 से मिलाकर पुछा गया तो सुशील सिंह ने बताया कि मेरी मोटरसाइकिल मेरे पास है बरामद मोटरसाइकिल के चेंचिस नम्बर से ई चालान ऐप पर देखा गया तो इस मोटरसाइकिल का वास्तविक राजिस्ट्रेशन नम्बर UP50BDxxxx है जिसके आनर जोगेन्द्र कन्नौजिया पुत्र रामनाथ कन्नौजिया निवासी चुल्लूपुर पोस्ट दिरयापुर नेवादा थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ है

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि इस मोटर साइकिल को मै अपने दोस्त शनि पुत्र सुरेन्द्र निवासी खण्डवारी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ के साथ ठण्डी के मौसम मे लगभग डेढ वर्ष पहले ग्राम चुल्लूपुर से थाना मेंहनाजपुर से चोरी किए थे इस गाडी की नम्वर प्लेट बदलकर चलाते थे आज मै गाडी बेचने के लिए आजमगढ से जा रहा था क्यों कि मेरे दोस्त शनि ने ग्राहक आजमगढ में तय किया था इस लिए मै मोटरसाइकिल आजमगढ ले जा रहा था कि आप लोगों ने पकड लिया गाडी के कागजात मांगने पर नहीं दिखा सका अपनी गलती की माफी मांगते हुए बता रहा है कि साहब गलत संगत मे पड़ने के कारण आदत खराब हो गई थी मोटरसाइकिल चोरी करके उसे बेच कर अपने खाने पिने व मौज मस्ती में खर्च कर देते हैं पकड़े गये व्यक्ति का यह कृत अन्तर्गत धारा 420/411/413 IPC का दण्डनीय अपराध है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं 215/24 धारा 420/411/413 IPC बनाम 1.सूर्यप्रताप उर्फ सोनू यादव पुत्र गुल्लू यादव निवासी तिलसडा मठिया थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ 2.सन्नी पुत्र सुरेन्द्र सा0 खण्डवारी थाना सरायमीर आजमगढ के पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त- सूर्यप्रताप उर्फ सोनू यादव पुत्र गुल्लू यादव निवासी तिलसड़ा मठिया थाना मेंहनगर आजमगढ़ बरामदगी का विवरण:-

1-एक अदद मोटर साइकिल होण्डा साइन रंग काला जिसका रजिस्ट्रेशन न0 UP32EL8284 का फर्जी नम्बर प्लेट लगा है पंजीकृत अभियोग- 1- मु.अ.सं 215/24 धारा 420/411/413 भादिव थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 357/16 धारा 323/504 भादवि थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ 2.मु0अ0सं0 301/22 धारा 323/504/506 भादवि थाना मेंहनगर, आजमगढ़ 3.मु.अ.सं. 215/24 धारा 420/411/413 भादवि थाना मेंहनगर, आजमगढ़ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-उ0नि0 आदिल खाँ मय हमराह थाना मेंहनगर, आजमगढ़।

<u>थाना- मेंहनगर</u> गुमशुदा 02 बच्चों को किया गया बरामद

पूर्व की घटना-

दिनांक 06.06.2024 को बलदेव सोनकर पुत्र नेब्बु सोनकर ग्राम बिसला थाना मेहनगर जिला आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीरी दिया गया था कि वादी के भतीजे 1.संदीप सोनकर उम्र 14 वर्ष पुत्र गुलाब सोनकर ग्राम बिसला थाना मेहनगर जिला आजमगढ, एव 2.आकाश सोनकर उम्र 12 वर्ष पुत्र स्व0 कमलेश सोनकर ग्राम बिसला पो0 मेहनगर जिला आजमगढ शाम 3.00 बजे साईकिल से मेहनगर कि तरफ गए थे जो अभी तक घर नहीं लौटे घर के लोग हर जगह तलाश किये उनका कुछ अता पता नहीं चला जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.- 213/24 धारा 363 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया। वरामदगी का विवरण-

आज दिनांक 08.06.2024 को 30नि0 अमित कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित गुम हुए बच्चों 1.संदीप सोनकर उम्र 14 वर्ष पुत्र गुलाब सोनकर, 2.आकाश सोनकर पुत्र स्व0 कमलेश सोनकर समस्त निवासी बिसला थाना मेहनगर जिला आजमगढ को थाना क्षेत्र सिधारी से समय करीब 08.00 बजे बरामद कर बच्चों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। **बरामद बच्चों का विवरण**-

1.संदीप सोनकर पुत्र गुलाब सोनकर निवासी बसिला थाना मेहनगर जिला आजमगढ़ उम्र 14 वर्ष। 2.आकाश सोनकर पुत्र स्व0 कमलेश सोनकर निवासी बसिला थाना मेहनगर जिला आजमगढ़ उम्र 12 वर्ष। <u>पंजीकृत अभियोग</u>- मु.अ.सं 213/24 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ <u>बरामद करने वाली पुलिस टीम</u> उ0नि0 अमित कुमार यादव, का0 सोनू यादव थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।